न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अरशदीप बराड(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 27/2020

1. लाली देवी पुत्री बोदू, जाति बलाई पत्नी स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी बेगरा तहसील व जिला जयपुर।
2. रामेश्वर दत्तक पुत्र बोदू जाति बलाई निवासी बरोडी तहसील व जिला जयपुर।

......वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर।
2. भूरा पुत्र गंगाराम (मृतक)
   2/1. भैरूराम पुत्र भूरा
   2/2. मोहन लाल पुत्र भूरा
   2/3. भूरी देवी बेवा भूरा
   2/4. ग्यारसी देवी पुत्री भूरा
   2/5. झमरी देवी पुत्री भूरा
   2/6. कानी देवी पुत्री भूरा
   2/7. लक्ष्मा पुत्री भूरा
3. रामकरण पुत्र गंगाराम
4. गुल्लाराम पुत्र गंगाराम
   जाति जाट निवासी ग्राम बरोडी तहसील व जिला जयपुर।
5. शंकरलाल शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा
6. बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा
7. सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा
8. श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल शर्मा
9. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल शर्मा
   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासीयान किशोर पटेल की ढाणी ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक महोदय तृतीय पंजीयन एवं मुद्रांक तहसील व जिला जयपुर।

...........प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 28/2/22

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी पेश हुई। दिनांक 31.12.2009 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी 1908 पेश कर प्रार्थी अधिवक्ता ने उल्लेख किया कि:-

वादग्रस्त भूमि ग्राम बरोडी तहसील जयपुर स्थित खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नं0 5 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा के संबंध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर प्रथम के समक्ष वाद सं0 43/89 भूरा बनाम पोखर आज भी वाद रिमाण्ड विचाराधीन है। उपरोक्त शीर्षकीय वाद पश्चातवर्ती है जिसमें वर्णित विवा[illegible] खसरा नं0 5 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बरोडी तहसील जयपुर स्थि[illegible] 43/89 उनवानी भूरा बनाम पोखर में विवादित भूमि व पक्षकार समान है अर्थात [illegible] विषय वस्तु प्रत्यक्षतः और सारतः समान है। कानूनन पूर्व वाद के विचाराधीन रहते हुये पश्चात[illegible] वाद चलने योग्य नहीं [illegible] में पश्चातवर्ती वाद के लिये निम्न प्रकार व्यवस्था दी गई है- कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य-विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है आगे कार्यवाही नहीं करेगा, जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो [illegible] किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:05 IST
Reason: SelfAttested

अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है।'' अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी पोखर द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को पूर्व में पेश वाद सं0 43/89 उनवानी भूरा बनाम पोखर को अंतिम निर्णय तक स्थगित फरमाया जावे।

जिसका जवाब अप्रार्थी (वादीगण) द्वारा दिनांक 07.06.2010 को पेश कर अभिवचन किया गया कि दावा 43/89 उनवानी भूरा बनाम पोखर दिनांक 28.07.2003 को खारिज हो चुकी है व उसे रेस्टोर करने के आदेश अपीलाधीन है अतः उसे विचाराधीन नही माना जा सकता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं0 2 निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण को बहस हेतु अवसर दिया गया। प्रार्थी/अप्रार्थी के द्वारा किये गये कथनों व लाली देवी बनाम राज्य सरकार (27/2020) व पत्रावली भूरा बनाम पोखर (43/89) नया वाद सं0 24/2020 का मनन किया गया व उसके अनुसार न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय किया गया।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में मुख्य आपत्ति यह पेश की गई थी कि पत्रावली भूरा बनाम पोखर (43/89) दिनांक 28.07.2003 को खारिज हो चुकी है व उसे रेस्टोर करने के आदेश अपीलाधीन है अतः उसे विचाराधीन नही माना जा सकता। वास्तविकता यह है कि दावा 43/89 रिस्टोर हो कर पुनः नम्बर (नवीन वाद सं0 24/2020) पर लिया जा चुका है व उसकी सुनवाई नियमित रूप से इसी न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम में की जा रहीं है। अतः अप्रार्थी की यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

प्रार्थना पत्र सेक्शन 10 सीपीसी 1908 में मुख्य विचारणीय बिंदु यह रहता है कि क्या वादपत्र में विषयवस्तु, चाहा गया अनुतोष व मूल पक्षकार समान है? इस बिंदु के प्रकाश में दोनों पत्रावलियों लाली देवी बनाम राज्य सरकार (27/2020) व पत्रावली भूरा बनाम पोखर (24/2020) का अध्ययन कर पाया गया कि इस वाद लाली देवी बनाम राज्य सरकार (27/2020) में वादिया ने ग्राम बसेडी स्थित खसरा नं0 5 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि की घोषणा सेक्शन 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी भूरा व अन्य दावा पेश किया है व पत्रावली भूरा बनाम पोखर (24/2020) में वादी भूरा द्वारा दावा बाबत घोषणा सेक्शन 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खसरा नं0 5 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम बसेडी किया गया है।

अतः मूल विषयवस्तु व पक्षकार लगभग समान है व यदि यह दोनों दावें अलग-अलग चलाये जाते है तो इनमें विरोधाभासी निर्णय होने की भी संभावना हो सकती है। भूरा बनाम पोखर (24/2020) इस विषयवस्तु का पूर्ववर्ती दावा है जिसमें पक्षकार व चाहा अनुतोष लगभग समान है। यह न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी 1908 स्वीकार कर दावा लाली देवी बनाम राज्य सरकार (27/2020) खारिज फरमाता है। मुताबिक निर्णय अंतिम डिकी जारी हो। इस वाद लाली देवी बनाम राज्य सरकार (27/2020) के जो पक्षकार है जो भूरा बनाम पोखर (24/2020) पत्रावली में पक्षकार न हो वह भूरा बनाम पोखर में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी 1908 पेश कर अपना पक्ष रखें।

निर्णय आज दिनांक 28/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:05 IST
Reason: SelfAttested

(अरशदीप बराड़)
अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम
जयपुर शहर प्रथम

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

1. लाली देवी पुत्री बोदू जाति बलाई पत्नी स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी बेगस तहसील व जिला जयपुर।
2. रामेश्वर दत्तक पुत्र बोदू जाति बलाई निवासी बसेड़ी तहसील व जिला जयपुर।

......**वादीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर।
2. भूरा पुत्र गंगाराम (मृतक)
   2/1. भैरूराम पुत्र भूरा
   2/2. मोहन लाल पुत्र भूरा
   2/3. भूरी देवी बेवा भूरा
   2/4. ग्यारसी देवी पुत्री भूरा
   2/5. झमरी देवी पुत्री भूरा
   2/6. कानी देवी पुत्री भूरा
   2/7. लक्ष्मा पुत्री भूरा
3. रामकरण पुत्र गंगाराम
4. गुल्लोराम पुत्र गंगाराम
   जाति जाट निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
5. शंकरलाल शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा
6. बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा
7. सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा
8. श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल शर्मा
9. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल शर्मा
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासीयान किशोर पटेल की ढाणी ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक महोदय तृतीय पंजीयन एवं मुद्रांक तहसील व जिला जयपुर।

...........**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 27/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दा[illegible]होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मूल विषयवस्तु [illegible] है व यदि यह दोनों दावें अलग–अलग चलाये जाते है तो इनमें विरोधाभासी निर्णय होने की संभावना हो सकती है। भूरा बनाम पोखर (24/2020) इस विषयवस्तु का पूर्ववती दावा है जिसमें पक्षकार व चाहा अनुतोष लगभग समान है। यह न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी 1908 स्वीकार कर दावा लाली देवी बनाम राज्य सरकार (27/2020) खारिज फरमाता है। इस वाद लाली देवी बनाम राज्य सरकार (27/2020) के यदि कोई ऐसे पक्षकार है जो भूरा बनाम पोखर (24/2020) पत्रावली में पक्षकार न हो वह भूरा बनाम पोखर में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:05 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सीपीसी 1908 पेश कर पक्षकार बने व अपना पक्ष रखें।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....—....... मुवलिग ....—........ बाबत् ....—..........

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....—.......... फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.......... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/2/22 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ..... अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरीके जरिये दिखाया हो।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:05 IST
Reason: SelfAttested